IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

Writ Petition No. 3948 of 2001 (S/S)
(Old No. 24759 of 1991)

Surendra Prakash Saxena
S/o late Shri Shiv Narain Saxena
R/o Mohalla Bala Ki Sarai,
P.O. Jai Ganj, District Aligarh.
At present residing at House No. 2,
Type 4, Soyabeen and Banaspati Industries Complex,
Haldoo Chaur (Haldwani), District Nainital.

…….. Petitioner

Versus

1. Managing Director
   U.P. Co-operative Federation Ltd.
   32, Station Road, Lucknow.
2. General Manager (Administration)
   U.P. Co-operative Federation Ltd.
   32, Station Road, Lucknow.
3. The Project Manager
   Soyabeen and Banaspati Industries Complex,
   Haldoo Chaur (Haldwani), District Nainital.

…….. Respondents

Mr. Rohit Tripathi and Mr. Ganesh Kandpal, Advocates
for the petitioner.
None for the respondents.

Hon. Prafulla C. Pant, J.

By means of this writ petition, moved under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner has sought writ in the nature of certiorari quashing the order dated 27.06.1991 (copy Annexure -12 to the writ petition), whereby the petitioner is dismissed from service.

2) Heard learned counsel for the petitioner and perused the counter affidavit and rejoinder affidavit exchanged between the parties.

3) Brief facts of the case are that the U.P. Co-operative Federation Limited is a body registered under the U.P. Co-operative Societies Act, 1965, and engaged in marketing business. The services of its employees are governed by the U.P. Co-operative Employees Service Regulation, 1975 and the U.P. Co-operative Federation Employees Service Rules, 1980. The petitioner was appointed as Chief Chemist by the Committee of Management of the Federation, and was posted at Soyabeen and Banaspati Industries Complex, Haldoo Chaur (Haldwani), District Nainital. On 09.10.1990, the petitioner was placed under suspension, and an enquiry was initiated against him. He was served with a charge sheet. A show cause notice dated 16.03.1991 appears to have been served on the petitioner directing him to reply as to why a sum of Rs. 43,20,044 and paise 07 be not recovered from him, and why his services be not terminated. It appears that after considering the reply of the petitioner, impugned order was passed dismissing the petitioner from the service. It is alleged in the writ petition that no opportunity of being heard was given to the petitioner and no concurrence was obtained from the Federation before passing the order dismissing the petitioner from service.

4) It is submitted by learned counsel for the petitioner that during the pendency of this writ petition, the petitioner continued in service, as there was interim order passed by

the Allahabad High Court in a writ petition, when it was filed in the year 1991, before said Court. (After creation of State of Uttarakhand, this writ petition has been received by transferred to this Court, under Section 35 of the U.P. Re-organization Act, 2000, for its disposal).

5) A counter affidavit has been filed on behalf of the respondents in which it is stated that the U.P. Co-operative Institutional Service Board Service Regulations are not applicable to the employees of the U.P. Co-operative Federation Limited. It is also stated that the petitioner's work was not satisfactory. It is further stated that on inspection certain irregularities were found to have been committed by the petitioner on the basis of which enquiry was initiated against him. It is also stated that it is wrong to say that the Managing Director of the Federation has no power to pass the impugned order, as vide resolution No. 9 dated 26.07.1986, the Managing Director is authorized to pass the order. Lastly, it is stated in the counter affidavit that the petitioner was given full opportunity of being heard before the impugned order is passed against him.

6) Before further discussion, it is pertinent to mention here, the charges which were leveled against the petitioner, which are mentioned in the impugned order, copy of which is annexed as Annexure-12 to the writ petition:

"आरोप संख्या – 1

श्री एस0 पी0 सक्सेना ने पद का लाभ उठाकर उनकी पत्नी श्रीमती बीना सक्सेना, द्वारा परियोजना से सम्बन्धित व्यापारियों, ठेकेदारों, प्रदायकर्ताओं, कर्मचारियों तथा उनसे सम्बन्धित जीवन बीमा करके कमीषन की धनराषि अर्जित करने एवं इस पर श्री सक्सेना द्वारा आपत्ति न

करने से श्री सक्सेना की सहभागिता सिद्ध होती है। जिसके कारण श्री सक्सेना द्वारा कर्मचारी सेवा नियमावली 1980 के नियम 77(2) के विरुद्ध आचरण करने का दोष सिद्ध होता है।

आरोप संख्या – 2

दिनांक 26–4–88 को श्री सक्सेना की मांग पर एस0 टी0 सी0 दिल्ली को आयातित तेल को उठाये जाने हेतु दिये गये अग्रिम मु0 4725000–00 में से असामायेजित धनराषि मु0 24,26,250–00 के समायोजन के सम्बन्ध में तत्समय श्री सक्सेना द्वारा तत्काल आवष्यक कार्यवाही नहीं की गयी तथा अपने कर्तव्यों के पालन में चूक करते हुए घोर लापरवाही बरती गयी जिसके फलस्वरूप संस्था को ब्याज के रूप में मु0 3,66,970–00 की हानि हुई यह आरोप श्री सक्सेना पर सिद्ध पाया गया, अवएव इस क्षति की पूर्ति का दायित्व श्री सक्सेना का है।

आरोप संख्या– 3

परियोजना प्रबन्धक के भ्रमण पर रहने के कारण श्री सक्सेना दिनांक 18–11–89 से 25–11–89 तक परियोजना प्रभारी के रूप में कार्यरत रहे। दिनांक 18–11–89 को रक्षा मंत्रालय के आर्मी परचेज आर्गनाइजेषन से 9000 मै0 टन वनस्पति की आपूर्ति हेतु प्राप्त निविदा, जिसकी अन्तिम तिथि 27–11–89 को अपरान्ह 3 बजे थी, श्री सक्सेना की घोर लापरवाही के कारण भरी नहीं जा सकी जिससे परियोजना को व्यापारिक क्षति पहुंची। यही नहीं श्री सक्सेना परियाजना के कर्मचारियों सर्वक्षी डी0के0 हजेला, प्रबन्धक (तक0) एवं श्री मनीराम, सहयोगी को डरा धमकाकर अपने पक्ष में जबरदस्ती बयान लिखवाया जो उनके अमर्यादित आचरण का प्रतीक है। यह आरापे श्री सक्सेना पर सिद्ध हैं।

आरोप संख्या – 4

श्री सक्सेना वनस्पति प्लान्ट के इन्चार्ज थे अतएव तेल का क्रय, उसकी गुणवत्ता, सही तौल तथा वनस्पति के उत्पादन में तेलों का उचित प्रयोग करने की पूरी जिम्मेदारी श्री सक्सेना की थी। श्री सक्सेना को अरोपित किया गया था कि विभिन्न पार्टियों के क्रय किये गये तेल की तौल की प्रमाणिकता संदिग्ध है, क्योंकि तेल रिसीविंग सेक्षन में तेल प्राप्ति के पूर्व तेल की पुनः तौल नहीं कराई जाती थी जबकि इस कार्य के लिए तौल टैक है, जहां तेल का सही वजन लेकर ही स्टाक–इण्टी करनी चाहिए थी और तदनुसार पार्टियों को गुणवत्ता आदि मानको को सुनिष्चित करते हुए भुगतान किया जाना चाहिए था। श्री सक्सेना का स्पष्टीकरण असन्तोषजनक पाया

गया और यह सिद्ध पाया गया कि वनस्पति प्लान्ट में प्रयुक्त होने वाले तेलों को तौल की प्रमाणिकता संदिग्ध है। और इसकी पुष्टि होती है कि तेल रिसीविंग सेक्षन में प्राप्त की गयी तेल की मात्रा वास्तविक मात्रा से कम है, क्योंकि केवल जनवरी 90 से सितम्बर 90 के दौरान ही अज्ञात हानियां अनुमन्य सीमा में 10.525 मै0 टन अधिक हुई जिसके फलस्वरूप संस्था को लगभग 2,63,125–00 की हानि हुई। अपने स्पष्टीकरण में श्री सक्सेना ने स्वयं स्वीकार किया है कि लासेज (हानियां) वनस्पति प्लान्ट में तेल तौल कर न दिये जाने के कारण भी हुई है। अज्ञात हानियों के बढ़ने के कारण की छानबीन हेतु संस्था द्वारा एच0वी0टी0सी0 के आयल एवं पेण्ट टेक्नालोजी विभाग के विषेषज्ञ श्री आर0क0 खन्ना एवं श्री आर0पी0 सिंह से अध्ययन कराया गया, जिनके द्वारा भी तेल की वास्तविक मात्रा जो वनस्पति के उत्पादन में प्रयुक्त होती थी, की तौल की प्रमाणिकता संदिग्ध मानी गयी है और अज्ञात हानियों की बढ़ोतरी का कारण माना गया है। श्री सक्सेना द्वारा अपनाई गयी इस दोषपूर्ण कार्यपद्धति से तेल आपूर्तिकर्ताओं को जहां लाभ पहुंचा, वहीं संस्था को हानि हुई। इस प्रकार आरोपित अज्ञात हानियां मु0 263,125–00 के लिए श्री सक्सेना उत्तरदायी हैं।

आरोप संख्या – 5

तेल रसायन आदि के क्रय एवं भुगतान का दायित्व श्री सक्सेना का था। श्री सक्सेना को आरोपित किया गया था कि वर्ष 87–88 एवं 88–89 के दौरान उक्त वस्तुओं के क्रय एवं भुगतान की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि श्री सक्सेना ने लैब प्रभारी से साथ सांठ–गांठ कर निजी स्वार्थ में बिना रसायनिक परीक्षण कराये अथवा मानकों के अनुरूप बिना कटौती कराये तथा गुणवत्ता के प्रति आष्वस्त हुए बिना फर्जी रिपोर्ट के आधार पर पार्टियों को मु0 1,03,89,172–46 पैसे का भुगतान करा दिया। अधिकांष पार्टियों ने श्री सक्सेना की पत्नी के माध्यम से बीमा भी करायी है। श्री सक्सेना ने निजी स्वार्थ सिद्धि में यह ध्यान नहीं रखा कि वनस्पति उत्पादन में जो तेल एवं केमिकल्स प्रयोग में लाये जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता, शुद्धता संदिग्ध है जिसका सीधा प्रभाव वनस्पति की क्वालिटी पर पड़ेगा। फलतः खराब क्वालिटी का वनस्पति उत्पादित हुआ और संस्था की साख गिरी। जांच में पाया गया कि मु0 1,85,454–32 का भुगतान श्री सक्सेना द्वारा नहीं किया गया है शेष मु0 1,02,03,718–14 का भुगतान श्री सक्सेना द्वारा नहीं किया गया है, परन्तु चूंकि सन्र्दभित रसायनों, तेलों आदि का परीक्षण/जांच संदिग्ध हे अतएव उनकी गुणवत्ता भी संदिग्ध है जिसके लिए श्री सक्सेना

एवं निलम्बित लैब प्रभारी श्री अरोड़ा संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। घटिया एवं खराब गुणवत्ता के तेलों, रसायनों आदि के प्रयोग से भी उत्पादित वनस्पति की क्वालिटी खराब हुई जिसकी पुष्टि परियोजना प्रबन्धक ने भी की है। अवएव यह आरोप श्री सक्सेना पर इस सीमा तक सिद्ध है कि इनके द्वारा लैब प्रभारी के साथ सांठ–गांठ करके खराब एवं घटिया संदिग्ध क्वालिटी के रसायन और तेल आदि का क्रय किया गया तथा मु0 1,02,03,718–14 पैसे का भुगतान निजी स्वार्थ में पार्टियों को किया गया। यह उल्लेखनीय है कि इस आरोप में सदर्भित रसायनों एवं तेलों का प्रयोग वनस्पति उत्पादन में श्री सक्सेना द्वारा कर लिया गया है और घटिया क्वालिटी की वनस्पति का उत्पादन किया गया है, जैसाकि आरोप सं0 9 में दृष्टव्य है। कम गुणवत्ता के रा–मैटेरियल से प्रयोग से उत्पादन में हानियां भी निर्धारित मानकों से बढ़ी है जैसा कि आरोप सं0 8 में दृष्टव्य है। चूंकि रसायनों एवं तेलों की खपत की जा चुकी है तथा उत्पादित वनस्पति की बिक्री भी की जा चुकी है अवएव अनियमित भुगतान की वसूली वांछित नहीं है, परन्तु वनस्पति उत्पादन में हुई हानि के लिए श्री सक्सेना दोषी हैं।

आरोप सं0 – 6

श्री सक्सेना को आरोपित किया गया था कि वनस्पति घी के भरान हेतु बिना क्वालिटी की जांच कराये 15 के0जी0 के खराब किस्म में खाली टिनों को निजी स्वार्थ में स्वीकार किया गया और पार्टियों को बिल संख्या 2287 दि0 27–10–88 मु0 72,118–90, बिल संख्या 61 दि0 8–2–88 मु0 36,925–00 बिल संख्या 116/चालान नं0 26 मु0 22,788–00 एवं बिल संख्या 2586 दि0 27–03–89 मु0 46,582–40 कुल मु0 1,78,414–30 का भुगतान करके संस्था को क्षति पहुंचायी गयी। श्री सक्सेना ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि चारों बिल नियमानुसार पास किये गये हैं और क्वालिटी सत्यापित करने की जिम्मेदारी उनकी न होकर लैब इन्चार्ज की थी, परन्तु श्री सक्सेना ने परीक्षण अथवा अपरोक्ष रूप से स्वीकार किया है कि टिन की क्वालिटी खराब थी क्योंकि अपने स्पष्टीकरण में दो पार्टियों से कटौतियों का उल्लेख उनके द्वारा किया गया है। श्री सक्सेना के स्पष्टीकरण तथा जांच आख्या के परीक्षण से स्पष्ट पाया गया कि श्री सक्सेना का कथन निराधार है और श्री सक्सेना द्वारा यह कहा जाना कि क्वालिटी के सत्यापन की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी, गलत है, क्योंकि श्री सक्सेना प्लान्ट के आल ओवर इन्चार्ज थें और उनकी पूरी जिम्मेदारी थी कि भुगतान कराने से पूर्व क्वालिटी का सत्यापन कराते और पूर्णतयः आष्वस्त होने के बाद भी भुगतान की कार्यवाई सुनिष्चित

कराते। वस्तुतः यह पाया गया कि क्वालिटी की जांच ही नहीं कराई गई वरन फर्जी रिपोर्ट लगवाकर कुछ कटौतियों के साथ निजी स्वार्थ में माल प्राप्त कर लिया गाया। इस प्रकार श्री सक्सेना द्वारा निजी स्वार्थ में टिन की क्वालिटी के साथ समझौता किया गया और खराब गुणवत्ता के टिन खरीदें गये। यह टिन के कनस्तर जब घी से भरे गये और सप्लाई किये गये तो ट्रांजिट मे ही कमजोर होने के कारण कई कनस्तर चिपक गये अथवा उनके ढक्कन खुल गयें। जिसकी षिकायतें डीलरों ने की। इस प्रकार श्री सक्सेना ने लैब इन्चार्ज के साथ सांठ गांठ करके मु0 ।,78,414–30 की क्षति संस्था को पहुचांई है जिसके लिए वे संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उपर्युक्त क्षति के 50 प्रतिषत अर्थात 89,207–15 के लिये श्री सक्सेना उत्तरदायी हैं।

आरोप सं0 – 7

वनस्पति के संचालन में श्री सक्सेना ने अत्यंत लापरवाही एवं अटटदर्षिता का परिचय दिया। आयल मिक्स की प्लानिंग उचित ढंग से इनके द्धारा न करके महगें तेल का इस्तेमाल करके उत्पादन व्यय बढ़ाया गया है जबकि उत्पादित क्वालिटी पर विषेष ध्यान नहीं रखा गया जिसके फलरुवरुप अपेक्षित लाभ अर्जित नहीं हुआ। उत्पादन के विभिन्न चरणे में सही देख रेख एवं तकनीकी दक्षता का अभाव देखने को मिला, जिसके कारण प्रोडक्षेषन कास्ट में वृद्धि हुई सही देख रेख न होने के कारण एफलुएट सेक्षन में प्राप्त वनस्पति एवं तेलों की मात्रा मानको से अधिक आई। परिणाम स्वरुप जुलाई 89 से सितम्बर 90 तक 270,497 मै0टन तेल की अधिक हानि हुई जिसके फलस्वरुप 249,499 मै0 टन मानको से कम वनस्पति उत्तादित हुआ जिससे संस्था को मु0 60,01,236–56 पैसे की हानि हुई जिसके लिए श्री सक्सेना मुख्य रुप से जिम्मेदार पाये गये। उक्त धनराषि में से 60 प्रतिषत मु0 36,00,741–92 का दायित्व श्री सक्सेना पर निर्धारित किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया।

आरोप सं0 – 8

जनवरी 89 से सितम्बर 90 तक अप्रत्याक्षित रुप से 714.03 मै0 टन वनस्पति निम्न क्वालिटी का उत्पादित करने के दोषी श्री सक्सेना पाये गये। श्री सक्सेना द्वारा वनस्पति प्लान्ट के संचालन में अत्यंत अकुषलता के साथ साथ घोर लापरवाही बरती गई। जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि श्री सक्सेना तकनीकी दृष्टि से भी अकुषल है।

तदनुसार उक्त कृत्यों, कदाचार एवं उनके द्वारा कार्य में बरती गई लापरवाही एवं दक्षतापूर्वक प्लांट संचालन न करने के फलस्वरुप संस्था

की मु0 43,20,044–07 की हानि हुई जिसके लियं पत्रांक पीसीएफ/स्था0/ब–1/278962–65 दि0 16.3.1991 द्वारा 'कारण बताओ नोटिस' निर्गत की गई जिसमें निम्नलिखित दण्ड प्रस्तावित किये गये तथा 15 दिन के अन्दर उत्तर देने की अपेक्षा की गई–

1– श्री सक्सेना से हानि रु0 43,20,044–07 पैसे क्यों न वसूल किये जाये.?

2– श्री सस्सेना को पीसीएफ की सेवा से क्यों न पदच्चुत कर दिया जाये?

श्री एस0पी0 सक्सेना को उनकी मांग के अनुसार जांच आख्या की प्रति भी उपलब्ध कराई गई। उन्हे परियोजनास्तर पर अभिलेख देखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया तथा उनके अनुरोध पर कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने हेतु उदार दृष्टिकोंण अपनाते हुये दा बाद क्रमषः 25–4–1991 तथा 15–5–1991 तक का समय दिया गया, परन्तुं श्री सक्सेना ने अपना उत्तर बढाई गई अवधि में भी प्रस्तुत नहीं किया। श्री सक्सेना ने उत्तर प्रस्तुत न कर येनकेन प्रकारेण टाल मटोल की ही कार्यवाही की और जान बूझकर इतना अधिक समय बीतने के उपरान्त भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि श्री सक्सेना को कारण बताओ नोटिस के उत्तर में कुछ नहीं कहना है।

अतएवं श्री एस0पी0 सक्सेना, निलम्बित चीफ कैमिस्ट, सोयाबीन प्रोजेक्ट के मामले में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लेते हुयें निम्नलिखित आदेष परित किया जाता है–

उपर्युक्त सिद्ध पाये गये आरोपो के परिप्रेक्ष्य में संस्था को हुई क्षति मु0 43,20,044–07 का दियित्व श्री एस0पी0 सक्सेना, निलम्बित चीफ कैमिस्ट, पर निर्धारण किया जाता है एवं तात्कालिक प्रभाव से उक्त श्री सक्सेना को संघ की सेवा से पदच्युत किया जाता है।

ह0/अपठित
(सतीष कुमार अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेष्क।

7) Annexure -1 to the writ petition further shows that when the charge sheet was served, petitioner was given an opportunity for submitting his reply. Annexure-2 to the writ

petition is the reply submitted by the petitioner in response to the charge sheet, mentioned above. The impugned order, copy of this is Annexure-12 to the writ petition, shows that the petitioner was given full opportunity before the impugned order is passed against him. Learned counsel for the petitioner submitted that no opportunity of being heard is given to the petitioner. However, the documents on record, as discussed above, which are annexed to the writ petition and the counter affidavit, disclose that sufficient opportunity was given to the petitioner before the impugned order is passed against him.

8) Learned counsel for the petitioner drew attention of this Court to Rule 86 of the U.P. Co-operative Federation Limited Employees Service Rules, 1980, which provides that no order of reduction in rank, removal or dismissal, as mentioned in Rule 83(1) of aforesaid Rules, can be passed without concurrence of the Board. Word 'Board' is defined in Clause (d) of Rule 2 of said Rules, which provides that 'Board' means the U.P. Co-operative Institutional Service Board. It is specifically pleaded by the petitioner in the writ petition that no concurrence was obtained before passing the impugned order dismissing the petitioner form service. In reply to said plea taken in Para 18 of the writ petition, in the counter affidavit it is nowhere stated that the concurrence was obtained before passing the impugned order. As such, the impugned order so far as it relates to the dismissal of the petitioner from service suffers from material illegality, as no concurrence of the Board is obtained before the impugned order is passed. The stand taken by the respondents that Rules of 1980 are not applicable to the petitoiner does not appear to be correct as copy of his appointment letter filed

with counter affidavit as annexure C.A. 4, itself shows that Rules of 1980 are applicable to the services of the petitioner, as appointment is made under said rules.

9) It is also submitted on behalf of the petitioner that the authority, who has signed the impugned order, was not authorized to pass the order against the petitioner. However, Annexure C.A. 5 to the counter affidavit shows that vide resolution No. 09 dated 26th July 1986, the Managing Director was delegated power of appointing authority and as such impugned order does not suffer infirmity on that count.

10) However, for reasons as discussed in Para 8 above, that no mandatory concurrence is obtained from the Federation before dismissing the petitioner from service, as required under Rule 86 of the U.P. Co-operative Federation Employees Service Rules, 1980, the writ petition deserves to be allowed, and the same is allowed. The impugned order dated 27.06.1991 is quashed to the extent that it dismisses the services of the petitioner. No order as to costs.

(Prafulla C. Pant, J.)

Dt. October 05, 2007.
H.Negi